न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री वीरमाराम, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 229/2022

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. देदाराम पुत्र टीकमाराम जाति जाट निवासी वणाकों का बेरा तहसील सिणधरी		1. चेनाराम पुत्र डालूराम 2. मोटाराम पुत्र डालूराम 3. दूदाराम पुत्र टीकमाराम 4. हड़मानराम पुत्र उदाराम 5. गंगाराम पुत्र उदाराम 6. धनाराम पुत्र उदाराम 7. सिणगारी पत्नि उदाराम 8. कोशलाराम पुत्र हरदाराम जातियान जाट निवासी वणाको का बेरा तहसील सिणधरी 9. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री जोगराज पोटलिया , अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थी एकतरफा।

आदेश

दिनांक 24.11.2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.12.31 17:31:42 IST
Reason: SelfAttested

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी क[illegible]ा वणाको का बेरा पटवार क्षेत्र एड सिणधरी तहसील सिणधरी के [illegible] 2.5888 हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थी के उपरोक्त [illegible] सीधा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्[illegible]हीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत मौजा वणाको का बेरा पटवार क्षेत्र एड सिणधरी तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 6/7 रकबा 2.5888 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत मौजा वणाको का बेरा पटवार क्षेत्र एड सिणधरी तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 6/7 रकबा 2.5888 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेत के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा मौजा वणाको का बेरा पटवार क्षेत्र एड सिणधरी तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 6/7 रकबा 2.5888 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया मौजा वणाको का बेरा पटवार क्षेत्र एड सिणधरी तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 6/7 रकबा 2.5888 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डेड सहखातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसका प्रार्थी हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा,प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया कि मौजा वणाको का बेरा पटवार क्षेत्र एड सिणधरी तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 6/7 रकबा 2.5888 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण [illegible] में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित [illegible] कमिशनर फीस 500/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना [illegible] मिसल हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.12.31 17:31:42 IST
Reason: SelfAttested

24/11/22
(वीरमाराम)
उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 24-11-2022 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/11/22
उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी